संख्या: 100/2016/192 /पैंतीस-4-2016

प्रेषक,

राम रेखा पाण्डेय,
सयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 21 मार्च,2016**

विषय- वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय योजना सपोर्ट फार स्टेस्टिकल स्ट्रेन्थिनिंग (एसएसएस) के अन्तर्गत मण्डलीय उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) बस्ती के कार्यालय भवन के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: 471/एसएसएस-03/भवन/2015, दिनांक 04.01.2016 एवं 477/एसएसएस-03/भवन/2015, दिनांक 14.01.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय योजना सपोर्ट फार स्टेस्टिकल स्ट्रेन्थिनिंग (एसएसएस) के अन्तर्गत मण्डलीय उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) बस्ती के कार्यालय भवन के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- वर्ष 2015-16 में केन्द्रीय योजना सपोर्ट फार स्टेस्टिकल स्ट्रेन्थिंग (एसएसएस) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 6.00 करोड़ के सापेक्ष राज्यांश सहित कुल रू0 6.45 करोड़ (रू0 छः करोड़ पैतालिस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या: 34/2016/19/पैतीस-4-2016, दिनांक 21.01.2016 द्वारा प्रदान करते हुए उक्त धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखी जा चुकी है जिसके अन्तर्गत रू0 2.25 करोड़ (रू0 दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु चिन्हित है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग से प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त केन्द्रीय योजना सपोर्ट फार स्टेस्टिकल स्ट्रेन्थिनिंग (एसएसएस) के अन्तर्गत मण्डलीय उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) बस्ती के कार्यालय भवन के निर्माण लागत रू0 49.23 के सापेक्ष अधिष्ठान व्यय एवं लेबर सेस सहित मूल्यांकित लागत रू0 46.24 लाख (रू0 छियालिस लाख चौबीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है। उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था जल निगम (सी0एण्ड डी0एस0 इकाई संख्या-20, संत कबीर नगर) होगी -:

(1) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व में प्रश्नगत कार्य के लिए किसी भी स्रोत से धनराशि निर्गत नहीं की गयी है।
(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/दुरावृत्ति न हो इसे प्रभाग स्तर पर सुनिश्चित किया जाय।
(3) कार्यों की निर्धारित विशिष्टयों/मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा।
(4) प्रश्नगत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिस मद के लिए स्वीकृत की गयी है।
(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।
(6) प्रश्नगत कार्य के लिए धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पितियों का स्थानान्तरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात संबंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा।
(8) कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर पर्चेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2016 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।
(10) राजकोष से आहरित धनराशि का त्रेमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 03 माह में अर्थात 30 जून, 2016 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुये व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण शासन को प्रेषित किया जायेगा।
(11) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रो को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
(12) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
(13) व्यय करने से पूर्व भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/एम0ओ0यू0 का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय-आयोजनागत-001-निदेशन एवं प्रशासन-04- स्टेट स्ट्रेटिजिक स्टेटिस्टिकल प्लान के अन्तर्गत मद 42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0: 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में निर्गत किया जा रहा है। यह आदेश

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या: 100/2016/192(1)/पैतीस-4-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व , द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आईटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।